

पर्चा डिक्री

माल्य : सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

सं० : 02/2020

विषय :

सुरजाराम पुत्र हरलाल जाति जाट आयु 44 वर्ष निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

- वादी

बनाम

1. हरलाल पुत्र राजूराम जाति जाट आयु 77 वर्ष निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. विनोद कुमार पुत्र हरलाल जाति जाट आयु 29 वर्ष निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. गुडडी पुत्री हरलाल पत्नी प्रतापसिंह जाति जाट आयु 55 वर्ष निवासी भिरानी हाल निनाण तह. भादरा जिला हनुमानगढ़
4. रोशनी पुत्री हरलाल पत्नी सरजीत जाति जाट आयु 46 वर्ष निवासी भिरानी हाल निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. बैंक एस.बी.आई शाखा डाबडी जरिये शाखा प्रबंधक डाबडी

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनम चन्द वर्मा एवं वकील प्रतिवादी सं० 1 ता 4 श्री अक्षय कुमार वर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव भिरानी की जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 के खाता सं० 64/55 के मु०नं० 414 के किला नं० 21 व 22 के प्रत्येक किला की 0.253 है०, मु०नं० 415 के किला नं० 25 की 0.253 है० मय गै०मु० रास्ता 0.012 है०, मु०नं० 444 के किला नं० 2 ता 4 के प्रत्येक किला की 0.253 है, किला नं० 5 की 0.253 है० मय गै०मु० रास्ता 0.012 है०, किला नं० 6 की 0.253 है० मय गै०मु० रास्ता 0.013 है०, किला नं० 7 ता 9, 12 ता 14 के प्रत्येक किला की 0.253 है०, किला नं० 15 व 16 के प्रत्येक किला की 0.253 है० मय प्रत्येक किला में गै०मु० रास्ता 0.013 है०, किला नं० 17, 18, 23, 24 के प्रत्येक किला की 0.253 है०, किला नं० 25 की 0.253 है० मय गै०मु० रास्ता 0.013 है०, मु०नं० 445 के किला नं० 1 ता 4, किला नं० 7 ता 25 के प्रत्येक किला की 0.253 है०, कुल किला 44 कुल क्षेत्रफल 11 132 है०, वा 11 058 है०, गै०मु० रास्ता 0.076 है०, कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं० 1 हरलाल के दर्ज 220 हिस्सा भूमि के वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 व०हि०व० के खातेदार काश्तकार है



सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

क 8 जेएसएल की जमाबन्दी सम्बत 2071-74 के खाता सं० 72/74 के मु०नं० 3 व 4 के प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी, किला नं० 5 की 0.253 है० नहरी मय गै०मु० रास्ता 0.013 है०, किला नं० 6 की 0.253 है० नहरी मय गै०मु० रास्ता 0.013 है, किला नं० 7, 8, 13, 14 के प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी, किला नं० 15 व 16 के प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी मय प्रत्येक किला में गै०मु० रास्ता 0.013 है, किला नं० 17 की 0.253 है० नहरी, किला नं० 24 की 0.228 है० नहरी, किला नं० 25 की 0.228 है० नहरी मय गै०मु० रास्ता 0.013 है०, मु०नं० 105 के किला नं० 1, 10, 11, 20 के प्रत्येक किला की 0.253 है० बारानी, किला नं० 21 की 0.228 है० बारानी कुल किला 18 कुल क्षेत्रफल 4.479 है०, नहरी 3.174 है०, बारानी 1.240 है०, गै०मु० रास्ता 0.065 है० कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं० 1 हरलाल के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि के वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार है चूंकि प्रतिवादी सं० 1, 3 व 4 ने उक्त वाद भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार गांव भिरानी के खाता सं० 64/55 की कुल 11, 132 है० बारानी मय रास्ता की भूमि में प्रतिवादी सं० 1 हरलाल के नाम दर्ज 220 हिस्सा भूमि हरलाल के बजाय वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 के नाम बहिस्सा बराबर और 8 जेएसएल के खाता सं० 72/74 की कुल 4.479 है० नहरी बारानी मय रास्ता की भूमि में प्रतिवादी सं० 1 हरलाल के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि हरलाल के बजाय वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 को ब०हि०ब० के खातेदार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे।
खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक १०-०१-२०२० को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



W
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

करण सं० : 02/2020

नवान :

सुरजाराम पुत्र हरलाल जाति जाट आयु 44 वर्ष निवासी भिरानी तहसील
भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

- वादी

बनाम

1. हरलाल पुत्र राजूराम जाति जाट आयु 77 वर्ष निवासी भिरानी तहसील
भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. विनोद कुमार पुत्र हरलाल जाति जाट आयु 29 वर्ष निवासी भिरानी
तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. गुड्डी पुत्री हरलाल पत्नी प्रतापसिंह जाति जाट आयु 55 वर्ष निवासी
भिरानी हाल निनाण तह. भादरा जिला हनुमानगढ़
4. रोशनी पुत्री हरलाल पत्नी सरजीत जाति जाट आयु 46 वर्ष निवासी
भिरानी हाल निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. बैंक एस.बी.आई शाखा डाबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक डाबड़ी

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचन्द वर्मा : वादी

: वकील श्री अक्षय कुमार वर्मा

प्रतिवादी सं० 1 ता 4

निर्णय

दिनांक 20-02-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि गांव भिरानी की जमाबन्दी सम्वत
2074-2077 के खाता सं० 64/65 के मु०नं० 414 के किला नं० 21 व 22 के प्रत्येक
किला की 0.253 है०, मु०नं० 415 के किला नं० 25 की 0.253 है० मय गै०मु० रास्ता 0.
012 है०, मु०नं० 444 के किला नं० 2 ता 4 के प्रत्येक किला की 0.253 है, किला नं० 5
की 0.253 है० मय गै०मु० रास्ता 0.012 है०, किला नं० 6 की 0.253 है० मय गै०मु० रास्ता
0.013 है०, किला नं० 7 ता 9, 12 ता 14 के प्रत्येक किला की 0.253 है०, किला नं० 15
ता 16 के प्रत्येक किला की 0.253 है० मय प्रत्येक किला में गै०मु० रास्ता 0.013 है०,
किला नं० 17, 18, 23, 24 के प्रत्येक किला की 0.253 है०, किला नं० 25 की 0.253 है०
मय गै०मु० रास्ता 0.013 है०, मु०नं० 445 के किला नं० 1 ता 4, किला नं० 7 ता 25 के
प्रत्येक किला की 0.253 है०, कुल किला 44 कुल क्षेत्रफल 11.132 है०, बरानी 11.056
है०, गै०मु० रास्ता 0.076 है०, कृषि भूमि में से 220 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम
खातेदारी दर्ज है जो बैंक एस.बी.आई शाखा डाबड़ी के रहिन है और चक 8 जेएसएल
की जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता सं० 72/74 के मु०नं० 104 के किला नं० 3
ता 4 के प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी, किला नं० 5 की 0.253 है० नहरी मय गै०मु०
रास्ता 0.013 है०, किला नं० 6 की 0.253 है० नहरी मय गै०मु० रास्ता 0.013 है, किला

MJ
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

नं० 7, 8, 13, 14 के प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी, किला नं० 15 व 16 के प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी मय प्रत्येक किला में गै०मु० रास्ता 0.013 है, किला नं० 17 की 0.253 है० नहरी, किला नं० 24 की 0.228 है० नहरी, किला नं० 25 की 0.228 है० नहरी मय गै०मु० रास्ता 0.013 है०, मु०नं० 105 के किला नं० 1, 10, 11, 20 के प्रत्येक किला की 0.253 है० बारानी, किला नं० 21 की 0.228 है० बारानी कुल किता 18 कुल क्षेत्रफल 4.479 है०, नहरी 3.174 है०, बारानी 1.240 है०, गै०मु० रास्ता 0.065 है० कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम खातेदारी दर्ज है।

उक्त वाद भूमि संयुक्त हिन्दू खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता हरलाल को वादी के दादा राजू से प्राप्त हुई है जो गांव भिरानी की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2029-2038 के खाता सं० 175 और चक नं० 8 जेएसएल की जमाबंदी (खतौनी) सम्वत् 2029-2038 के खाता सं० 94 से साफ रोशन है। उक्त भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 4 प्रत्येक का उक्त भूमि में 1/5 हिस्सा है

उक्त वाद भूमि बाबत हम मिकरान ने पारिवारिक समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है इसी अनुसार वे काश्त करते चले आ रहे हैं और प्रतिवादीया सं० 3 व 4 वादी की बहिने हैं जो शादीशुदा हैं तथा अपने ससुराल में खुशी से आबाद हैं जिन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि अपने भाईयों वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 के हक में बहिस्सा बराबर तर्क की हुई है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहता है जिसके लिए उसे के.सी.सी. ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा अनुसार अर्जीदावा की मद सं० 3 में दर्ज भूमि गांव भिरानी के खाता सं० 64/55 की कुल 11.132 है० बारानी मय रास्ता की भूमि में से प्रतिवादी सं० 1 हरलाल के नाम दर्ज 220 हिस्सा भूमि के वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार और चक नं० 8 जेएसएल के खाता सं० 72/74 की कुल 4.479 है० नहरी, बारानी मय रास्ता की भूमि में से प्रतिवादी सं० 1 हरलाल के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि के वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 बहिस्सा बराबर के हक व हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है तथा शेष भूमि गांव भिरानी के खाता सं० 65/56, खाता सं० 57/49, खाता सं० 193/185 की भूमि में प्रतिवादी सं० 1 हरलाल के नाम दर्ज भूमि यथावत रखी जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। वकील वादी ने प्रतिवादी सं० 5 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी सुरजाराम के ब्यान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी गांव भिरानी सम्वत् 2074-2077 खाता सं० 64/55 प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक नं० 8 जेएसएल सम्वत् 2071-74 खाता सं० 72/74 प्रदर्श 2, गांव भिरानी जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 खाता सं० 65/56 प्रदर्श 3, व खाता सं० 57/49 प्रदर्श 4, खाता सं०



सहायके कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादर

- 193/185 प्रदर्श 5, गांव भिरानी की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2029-38 खाता सं0 175
- प्रदर्श 6, चक 8 जेएसएल की जमाबन्दी खतौनी सम्वत 2029-38 खाता सं0 94 प्रदर्श
- 7, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भिरानी प्रदर्श 8 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यो को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस का मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद, वादी ने गांव भिरानी के खाता सं0 64/55 की कुल 11.132 है0, बारानी मय रास्ता की भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 हरलाल के नाम दर्ज 220 हिस्सा भूमि के वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार और चक नं0 8 जेएसएल के खाता सं0 72/74 की कुल 4.479 है0 नहरी, बारानी मय रास्ता की भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 हरलाल के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि के वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 बहिस्सा बराबर के हक व हिस्सा घोषित करवाने के लिए पेश किया है और शेष भूमि गांव भिरानी के खाता सं0 65/56, खाता सं0 57/49, खाता सं0 193/185 की भूमि में प्रतिवादी सं0 1 हरलाल के नाम दर्ज भूमि यथावत रखी जावे। वादी ने अपने दावा में वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि होना व वाद भूमि में वादी का जन्म से हक हिस्सा होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी गांव भिरानी सम्वत 2074-2077 खाता सं0 64/55 प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक नं0 8 जेएसएल सम्वत 2071-74 खाता सं0 72/74 प्रदर्श 2, गांव भिरानी जमाबन्दी सम्वत 2074-77 खाता सं0 65/56 प्रदर्श 3 व खाता सं0 57/49 प्रदर्श 4, खाता सं0 193/185 प्रदर्श 5, गांव भिरानी की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2029-38 खाता सं0 175 प्रदर्श 6, चक 8 जेएसएल की जमाबन्दी खतौनी सम्वत 2029-38 खाता सं0 94 प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये। जिससे वाद भूमि दादालाई व प्रतिवादी सं0 1 हरलाल को विरासतन प्राप्त होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 8 में प्रतिवादी सं0 1 हरलाल के वारिस में पत्नी सरबती देवी दो पुत्र सुरजाराम, विनोद कुमार व दो पुत्री गुड्डी, रोशनी होना व इनके अलावा कोई वारिस नही होना अंकित है। प्रतिवादीया सं0 3 व 4 ने मुताबिक राजीनामा वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में ब0हि0ब0 त्याग कर दिया है इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव भिरानी की जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता सं0 64/55 के मु0नं0 414 के किला नं0 21 व 22 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0नं0 415 के किला नं0 25 की 0.253 है0 मय गै0मु0 रास्ता 0.012 है0, मु0नं0 444 के किला नं0 2 ता 4 के प्रत्येक किला की 0.253 है, किला नं0 5 की 0.253 है0 मय गै0मु0 रास्ता 0.012 है0, किला नं0 6 की 0.253 है0 मय गै0मु0 रास्ता 0.013 है0, किला नं0 7 ता 9, 12 ता 14 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, किला नं0 15 व 16 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 मय प्रत्येक किला में गै0मु0 रास्ता 0.013 है0, किला नं0 17, 18, 23, 24 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, किला नं0 25 की 0.253 है0 मय गै0मु0 रास्ता 0.013 है0, मु0नं0 445 के किला नं0 1 ता 4, किला नं0 7 ता 25 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, कुल




सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

खता 44 कुल क्षेत्रफल 11.132 है, बारानी 11.056 है, नौमुठ रास्ता 0.076 है, कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं० 1 हरलाल के नाम दर्ज 220 हिस्सा भूमि के वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार है और चक 8 जेएसएल की जनबन्दी संख्या 2071-74 के खाता सं० 72/74 के मु०नं० 104 के किला नं० 3 व 4 के प्रत्येक किला की 0.253 है नहरी, किला नं० 5 की 0.253 है नहरी मय नौमुठ रास्ता 0.013 है, किला नं० 6 की 0.253 है नहरी मय नौमुठ रास्ता 0.013 है, किला नं० 7, 8, 13, 14 के प्रत्येक किला की 0.253 है नहरी, किला नं० 15 व 16 के प्रत्येक किला की 0.253 है नहरी मय प्रत्येक किला में नौमुठ रास्ता 0.013 है, किला नं० 17 की 0.253 है नहरी, किला नं० 24 की 0.228 है नहरी, किला नं० 25 की 0.228 है नहरी मय नौमुठ रास्ता 0.013 है, मु०नं० 105 के किला नं० 1, 10, 11, 20 के प्रत्येक किला की 0.253 है बारानी, किला नं० 21 की 0.228 है बारानी कुल किला 18 कुल क्षेत्रफल 4.479 है, नहरी 3.174 है, बारानी 1.240 है, नौमुठ रास्ता 0.065 है, कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं० 1 हरलाल के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि के वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 ब. हि. ब. व खातेदार काश्तकार है चूंकि प्रतिवादी सं० 1, 3 व 4 ने उक्त वाद भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किया गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार गाँव भिरानी के खाता सं० 64/55 की कुल 11.132 है बारानी मय रास्ता की भूमि में प्रतिवादी सं० 1 हरलाल के नाम दर्ज 220 हिस्सा भूमि हरलाल के बजाय वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 के नाम बहिस्सा बराबर और 8 जेएसएल के खाता सं० 72/74 की कुल 4.479 है नहरी बारानी मय रास्ता की भूमि में प्रतिवादी सं० 1 हरलाल के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि हरलाल के बजाय वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 को ब०हि०ब० के खातेदार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे । खर्चा समयमस अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20-28-2012 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुल

न्यायालय में सुनाया गया।




 रतन मुकुंद शर्मा
 (फास्ट ट्रेक) भादरा
 R.A.S.
 सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रेक)
 भादरा, जिला हनुमानगढ़